यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/95/2018 **दिनांक :** 07.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईडीबीआई बैंक

आप सभी को ज्ञात ही है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में पूंजी विस्तार की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 03.08.2018 को वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान एआईबीईए–एआईबीओए ने सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम न करने की माँग करते हुए उन्हें अपना स्मरण–पत्र प्रस्तुत किया। हम इस विषय में एआईबीईए–एआईबीओए द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र संख्या 2018/8 दिनांक 7.8.2018 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

– सरकार को आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम 51% शेयरधारिता बनाये रखनी चाहिए
– एआईबीईए–एआईबीओए की वित्त मंत्री के साथ बैठक

इकाईओं को ज्ञात है कि प्रत्येक समय आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम 51% शेयरधारिता बनाये रखने के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए/बीजेपी सरकार द्वारा 2003 में संसद को दी गई प्रतिबद्धता के विपरीत, सरकार ने आईडीबीआई बैंक में 51% शेयरधारिता अधिगृहित करने की एलआईसी को अनुमति देने का और सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम करने निर्णय लिया है। हमने पहले ही सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध अपना दृढ़ प्रतिरोध व्यक्त किया है।

3 अगस्त, 2018 को, साथी डी. राजा, सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के साथ, हम वर्तमान वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मिले और इस संबंध में उन्हें अपना स्मरण–पत्र प्रस्तुत किया। हम अपनी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना के लिए स्मरण–पत्र की प्रति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए

जारी पृष्ठ 2

एआईबीईए–एआईबीओए / पत्र / 2018 / 5 3.8.2018

सेवा में माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

आईडीबीआई बैंक में 51% से नीचे सरकार की हिस्सेदारी को कम करना

हम मीडिया में दिखाई देने वाली रिपोर्टों से वैध चिंता के साथ नोट करते हैं कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आईडीबीआई बैंक में 51% नियंत्रणकारी हिस्सेदारी अधिगृहित करने की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमण्डल के निर्णय के परिणामस्वरूप भारत सरकार की हिस्सेदारी 85.96% से 43% तक कम की जा रही है जैसे कि स्पष्ट रूप से घोषणा के अनुसार विकासशील बैंक की स्पष्ट छाया बैंक की भूमिका और बैंक के चरित्र पर पड़ती है जैसा कि आईडीबीआई (उपक्रमों और निस्तारण का अंतरण) अधिनियम, 2003 में परिभाषित है।

हम 8.12.2003 को लोक सभा तथा 15.12.2003 को राज्य सभा के पटल पर एनडीए नेतृत्व वाली सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गये पवित्र आश्वासन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं कि सरकार, **प्रत्येक समय,** कम्पनी की जारी पूंजी के न्यूनतम 51% अंशधारिता को बनाए रखेगी। माननीय वित्त मंत्री के इस स्पष्ट आश्वासन ने मामले में विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए प्रस्ताव को वापस लेने तथा आईडीबीआई निरसन विधेयक, 2002 के मौलिक मार्ग का आधार बनाया।

तत्पश्चात्, भारत सरकार ने सरकारी आश्वासनों पर समिति को औपचारिक रूप से भी पुष्टि की कि उपरोक्त आश्वासन बाध्यकारी होगा संदर्भित प्रावधानों को आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियम के वाक्यांश 4 में जोड़ने के द्वारा कि ''**केन्द्रीय सरकार, इस कंपनी का एक अंशधारक होने के नाते, प्रत्येक समय कंपनी की जारी पूंजी के न्यूनतम 51 प्रतिशत अंशधारिता को बनाए रखेगी।**''

इसके अलावा, उपरोक्त आश्वासन के बल पर विशेष रूप से विश्वास करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने उप समूह : अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के तहत आईडीबीआई को वर्गीकृत किया और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने संबंधित सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को अपने संचार दिनांक 31.12.2007 के माध्यम से सूचित किया कि सभी उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों / स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के समान रखा जायेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का वर्तमान निर्णय कि भारतीय जीवन बीमा निगम को 51% नियंत्रणकारी हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में देने की मंजूरी जिसका परिणामी प्रभाव सरकार द्वारा अपनी शेयरधारिता को 51% से नीचे ले जाना जो कि दिसम्बर 2003 में एनडीए नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिए गए पवित्र आश्वासन का अपमान है और संस्था के अंतर्नियम के वाक्यांश 4 में निहित प्रावधानों से अलग है।

जबकि हम मानते हैं कि आईडीबीआई बैंक को पर्याप्त नई पूंजी के संचार की आवश्यकता है, हमें लगता है कि भारत सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला साधन राम–बाण नहीं है। कठोर दंडनीय उपायों को अपनाकर अनार्जक आस्तियों की वसूली द्वारा निधि का आंतरिक उत्पादन अकेले ही दीर्घकालिक आधार पर पूंजी आवश्यकताओं के मुद्दे का समाधान कर देगा।

आईडीबीआई बैंक में मुख्य समस्या बड़े कॉर्पोरेटों और व्यावसायिक घरानों के बढ़ते हुए खराब ऋण हैं। क्योंकि इन विशाल खराब ऋणों की वसूली नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि सभी प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं, बैंक द्वारा अर्जित लाभ इन खराब ऋणों के लिए प्रावधान करने की ओर जा रहे हैं।

जारी पृष्ठ 3

रू0 करोड़ में

	परिचालन लाभ	खराब ऋणों के लिए प्रावधान	शुद्ध लाभ/हानि	सकल एनपीए
2011-12	**4,056**	**2,024**	**+ 2,031**	**4,551**
2012-13	**5,458**	**3,576**	**+ 1,882**	**6,450**
2013-14	**5,681**	**4,560**	**+ 1,121**	**9,960**
2014-15	**5,778**	**4,855**	**+ 873**	**12,685**
2015-16	**5,370**	**9,035**	**- 3,665**	**24,875**
2016-17	**4,579**	**9,737**	**- 5,158**	**44,753**
2017-18	**7,905**	**16,143**	**- 8,238**	**55,588**

उपरोक्त से, यह अनुभव किया जा सकता है कि बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन केवल खराब ऋणों के संचय के कारण, उच्चतर प्रावधान किए जाते हैं और परिणामस्वरूप, बैंक का सारा लाभ प्रावधानों द्वारा खा लिया जाता है और विगत तीन वर्षों से, बैंक शुद्ध हानि में है।

2012 से 2018 तक पिछले 7 वर्षों में, **बड़े उधार अदा न करने वालों के रू0 24,226 करोड़ के ऋण** बैंक द्वारा **बट्टे खाते डाले गए हैं।** जबकि बैंक का पूरा लाभ खराब ऋणों के लिए प्रावधानों की ओर जा रहा है, बैंक घाटे, अपर्याप्त पूंजी आदि से पीड़ित है, सरकार को खराब ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए और इस बीच, पूंजी समर्थन बढ़ाना चाहिए जैसा कि संसद को आश्वासन दिया गया था।

51% से नीचे अपनी शेयरधारिता को कम करने और एलआईसी ऑफ इण्डिया को आईडीबीआई बैंक में नियंत्रित हिस्सेदारी अधिगृहित करने की अनुमति देना आईडीबीआई (उपक्रम और निरसन का स्थानांतरण) अधिनियम, 2003 की भावना और आशय के साथ असंगत है, हम इस मामले में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपना स्पष्ट प्रतिरोध व्यक्त करते हैं और **एक बार पुनः भारत सरकार से हमारी आगे की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय को रद्द करने का उत्साहपूर्वक आग्रह करते हैं।**

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री